रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258371
CG-DL-E-30102024-258371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946
No. 618] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2024

सं. 02/2024- स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 676(अ).— स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 अक्तूबर, 2024 से आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीचे निर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती का स्थान

अफीम पोस्त की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है।

2. खेती के लिए पात्रता

इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन, निम्नलिखित किसान (विधिक वारिसों सहित) लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे:

(i) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की हो और प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम से कम मॉर्फिन (एमक्यूवाई-एम) की औसत उपज पेश नहीं की हो।

नोट- किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पेश की गई अफीम में मॉर्फिन की औसत अर्हक उपज को इसके बाद अधिसूचना में न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई-एम) कहा जाएगा।

(ii) ऐसे किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी।

(iii) वे किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2023-24 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) ऐसे किसान जो फसल वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र थे, लेकिन किसी कारण से जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ/जारी नहीं हुआ, या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वास्तव में किसी कारण से अफीम की खेती नहीं की।

(v) किसान जिसे फसल वर्ष 2023-24 के लिए फार्म संख्या 1 (नियम 7 देखें) के कॉलम संख्या 11 में मृतक पात्र किसान द्वारा नामित किया गया हो।

(vi) जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृतक पात्र कृषकों के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक, ऐसे मामलों में जहां किसी कारण से फॉर्म संख्या 1 में नामांकन नहीं किया गया है या फॉर्म संख्या 1 में परिवार के सदस्यों / रक्त संबंधियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति का नामांकन किया गया है।

(vii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान लांसिंग के माध्यम से पोस्त भूसा उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी, जिसमें से कोई रस नहीं निकाला जाता है और जिन्होंने तौल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है, जिसकी औसत उपज **900** किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक है।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:

(i) उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो|

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो।

(iii) उसने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो/स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो|

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) उपर्युक्त खंड 2 के अंतर्गत पात्र सभी किसानों को केवल एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नम्बरों में फैला हुआ हो सकता है।

(ii) किसानों को, यदि वे चाहें तो, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति होगी।

5. पूर्व चेतावनी

(i) आने वाले वर्ष अर्थात् 2025-26 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्युवाई-एम) देना जरूरी है।

(ii) वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2024-25 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2025-2026 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उन्होंने फसल वर्ष 2024-25 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।

6. क्षम्य सीमा:

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

i. फसल वर्ष 2024-25 के दौरान अफीम गोंद के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए पात्र किसानों को आवेदन पत्र संख्या 1 में भूखंड के मालिक का विवरण, उस भूखंड की सर्वेक्षण संख्या आदि देनी होगी जिसमें वे अफीम पोस्त की फसल उगाने का इरादा रखते हैं और साथ ही नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्देशित कोई अन्य विवरण भी देना होगा।

ii. ये सामान्य लाइसेंसिंग शर्तें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जब भी उचित समझा जाए, स्वापक आयुक्त/ स्वापक उप-आयुक्त के लाइसेंस जारी करने/रोकने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

iii. लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने (निर्धारित न्यूनतम अर्हक) उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

iv. कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, राजकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना, नीमच या गाजीपुर द्वारा विश्लेषण के आधार पर, या तो कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम की मात्रा के 70° सांद्रता के आधार पर या मार्फीन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि सरकार ऐसा करने का निर्णय लेती है।

v. ऐसे कृषकों के संबंध में जिनके पास किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है, लेकिन वे निकटवर्ती गांव में निवास करते हैं, ऐसे कृषकों को अपने निवास में अफीम का भंडारण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे गांवों के बीच निरंतर मानव बस्तियां हों।

vi. पात्र किसानों के नाम सीबीएन वेबसाइट (cbn.nic.in) और/या सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल (cbnonline.nic.in) पर अपलोड किए जाएंगे और दिए गए मोबाइल नंबर पर संदेश, मेल आदि जैसे अन्य माध्यमों से सूचित किया जा सकता है। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करेंगे।

vii. मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी सीबीएन के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन के मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।

viii. अफीम नीति 2024-25 के हिन्दी संस्करण के किसी पैरा में यदि कोई अंतर हो तो उसका अंग्रेजी संस्करण ही अपनाया जाएगा।

[फा. सं. एन-14011/1/2024-एनसी-1]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2024

No. 02/2024-Narcotics Control-1

G.S.R. 676(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy for obtaining opium gum through lancing on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2024 and ending with the 30th day of September, 2025.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following cultivators (including legal heirs) shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for obtaining opium gum through lancing:

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2023-24 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) not less than 4.2 kg per hectare.

Note- Average qualifying yield of Morphine in opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY-M) in the notification hereinafter.

(ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop, cultivated during the crop year 2021-22, 2022-23 & 2023-24 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2020-21.

(iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2023-24.

(iv) Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2023-24, but did not obtain license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

(v) Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2023-24.

(vi) One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/ blood relatives in Form No. 1 is made.

(vii) Cultivators who had cultivated opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing during the crop year 2023-24 and have tendered poppy straw at weighment center with an average yield of 900 kg per hectare or more.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

(i) He/ She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2023-24 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.

(ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made there under.

(iii) He/she did not, during the crop year 2023-24, violated any of the departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

(i) All the cultivators eligible under clause 2 above will be issued license of 0.10 Hectare in one plot only. This plot may be spread across more than one revenue khasra numbers.

(ii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

(i) A minimum qualifying yield (MQY–M) of 5.9 Kg Morphine/ Hectare of Morphine in opium tendered should be achieved during the crop year 2024-25 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2025-26.

(ii) Morphine content of opium tendered during 2024-25 may become the basis for payment for the crop year 2024-25, if the Government decides to do so in this regard.

(iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2021-22, 2022-23 and 2023-24 would not be entitled for license in the crop year 2025-26, if they have also ploughed back their crop fully in the crop year 2024-25.

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

7. Miscellaneous

(i) The cultivators eligible for issue of license for opium poppy cultivation for production of Gum Opium during the Crop Year 2024-25 shall provide in the Application Form No. 1 the details of owner of the plot, survey number etc of the plot in which they are intending to cultivate opium poppy crop as well as any other details as may be suitably and reasonably notified by the Narcotics Commissioner.

(ii) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

(iii) The license shall be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency for obtaining opium gum or poppy straw without extraction of opium. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he/ she has tendered the stipulated MQY-M and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the Average yield.

(iv) For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur, either on the quantity of opium tendered by a farmer calculated at 70° consistency or on the morphine content basis, if government decides to do so.

(v) In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in the adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

(vi) The name of eligible cultivators will be uploaded on CBN website(cbn.nic.in) and/or CBN online portal (cbnonline.nic.in) and may be communicated through other means like messages on given mobile number, mails etc. The cultivators listed in the eligibility list shall apply through online mode on CBN Online Portal for obtaining license within the stipulated timeline.

(vii) Existing licensees shall not be required to submit paper for which information is already with CBN. Information will be provided in case of any change from previous year.

(viii) If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2024-25, then, English version of same shall be followed.

[F. No. N-14011/1/2024-NC-1]

RAM LAKHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.10.30 19:06:41 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258374
CG-DL-E-30102024-258374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946
No. 619] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2024

सं.03/2024- स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 677(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 अक्तूबर, 2024 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने का स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

2. **खेती हेतु पात्रता**

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित किसान (उनके कानूनी बारिस सहित) पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे:

(i) वे किसान जिन्होंने उनको जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर फसल वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर 675 किग्रा प्रति हेक्टेयर अथवा उससे अधिक बिना लांस किए गए पोस्त भूस की औसत उपज को जमा भी करा दिया था और जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5(ii) में उल्लिखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं गया है।

टिप्पणीः किसानों को जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान 675 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के नीचे बिना लांस किए गए पोस्त भूस की औसत उपज प्रस्तुत की है, फसल वर्ष 2024-25 के दौरान अफ़ीम पोस्त की खेती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालाँकि, उनके पास अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस बना रहेगा और वे उस वर्ष की नीति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे।

(ii) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए मार्फीन की औसत उपज (MQY-M) 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो।

(iii) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम या इससे अधिक बिना लांस किए गए पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है, यदि वे फसल वर्ष 2024-25 के लिए अफीम गोंद के उत्पादन हेतु अफीम की खेती के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार अफीम गोंद का विकल्प नहीं चुनते हैं और स्वेच्छा से पोस्त भूसा के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती जारी रखना चाहते हैं, जिसमें से लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है।

(iv) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अपनी सम्पूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी हो, किन्तु वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी पूरी पोस्त फसल न जुतवाई हो।

(v) वे किसान जोकि फसल वर्ष 2023-24 में लाइसेन्स पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाये या जिन्होने लाइसेन्स जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी।

(vi) जिन किसानों की फसल वर्ष 2023-24 में निपटान की अंतिम तिथि के उपरान्त लाइसेंस की मनाही के उपरान्त अपील की अनुमति दे दी गई है।

(vii) जिन किसानों को 1995-96 से एनडीपीएस अधिनियम, 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायायल में दोष/दोषों के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था बशर्ते उन्हें उक्त मामले अथवा मामलों में सक्षम विधि न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया हो तथा दोष मुक्ति के ऐसे आदेश इस संबंध में निर्णय तथा घोषणा की प्रमाणित प्रति के अधीन 31 जुलाई, 2024 को अंतिम निर्णित कर दिया गया है।

(viii) वे किसान जो फसल वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म नंबर 1 (नियम 7 देखें) के कॉलम संख्या 11 में मृत पात्र किसान द्वारा नामांकित है।

(ix) समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मृतक पात्र किसानों के कानूनी वारिसों में से एक को उन मामलों में जहां किसी कारणवश प्रपत्र सं. 1 में नामांकन नहीं किया जाता है अथवा प्रपत्र संख्या 1 में परिवार सदस्य/रक्त संबधियों की परिभाषा के अतंर्गत व्यक्ति का नामांकन नहीं आता है।

(x) किसानों जिनमें उनके कानूनी वारिस शामिल हैं जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था किंतु किन्हीं कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

(xi) अपने कानूनी वारिस सहित किसान जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक लाइसेंस नहीं दिया गया किन्तु 25 किग्रा./हेक्टेयर से अधिक एमक्यूवाई प्रस्तुत की।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:

(i) उसने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से लाइसेंस नीति में अनुमत 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो|

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं सिद्ध किया गया हो, बशर्ते सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उन्हें 31 जुलाई, 2024 तक दोष मुक्त न कर दिया गया हो।

(iii) फसल वर्ष 2023-24 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो|

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) उपर्युक्त खंड 2 के अंतर्गत सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा तथा केवल एक भू-खंड पर। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नंबरों पर फैला हुआ हो सकता है।

(ii) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. लाइसेन्स की अवधि

(i) ऐसे कृषकों को जो प्रथम बार पोस्त भूसा जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई जूस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए पात्र हो गए हैं, को पांच फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे अर्थात् फसल वर्ष 2024-25 के लिए किसानों को जारी किया गया लाइसेंस फसल वर्ष 2028-29 तक प्रभावी रहेगा।

(ii) 5 वर्षों के लिए जारी किया गया लाइसेंस निश्चित अवधि तक लागू रहेगा जब तक किसान:

क. अवैध क्रियाकलापों में लिप्त नहीं पाया जाता है,

ख. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप-पत्र नहीं दे दिया जाता है,

ग. उसने अफीम पोस्त की खेती के बारे में विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न किया हो।

घ. स्वेच्छा से अपना लाइसेंस संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष को वापस कर दिया हो।

6. पूर्व चेतावनी

(i) वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई अफीम-भूसे में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2024-25 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(ii) जिन किसानों ने लगातार तीन फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई करा दी हो, अगले फसल वर्ष के लिये लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

(iii) अगले वर्ष यानी 2025-26 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2024-25 के दौरान भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 800 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जानी चाहिए।

7. माफी योग्य सीमाः

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

8. विविध

(i) फसल वर्ष 2024-25 के दौरान बिना लांस किए पोस्त भूस के उत्पादन हेतु अफीम पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस के निर्गम हेतु पात्र किसान जो पांच वर्ष के लाइसेंस धारक नहीं हैं आवेदन प्रपत्र संख्या 1 में भू-खंड, भू-खंड की सर्वेक्षण संख्या आदि के ब्यौरे प्रदान करेंगे जिनमें वे अफीम पोस्त की फसल की खेती करने का इरादा रख रहे हैं तथा स्वापक आयुक्त द्वारा यथा निदेशित अन्य ब्यौरे भी प्रस्तुत करेंगे।

(ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iv) जिन किसानों ने अपने उत्पादित अन-लांस्ड पोस्ता कैप्सूल को भूसे के साथ सरकार को सौंप दिया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति किलोग्राम कीमत के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(v) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उन्हें अपने आवास पर अन-लांस्ड पोस्त भूस को इकटट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना-जाना होता हो।

(vi) पात्र किसानों के नाम सीबीएन वेबसाइट (cbn.nic.in) तथा/अथवा सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल (cbnonline.nic.in) पर अपलोड किया जायेगा तथा दिए गए मोबाइल नं., मेल आदि पर संदेश जैसे अन्य साधनों के माध्यम से संसूचित किया जायेगा। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान विहित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके के जरिये आवेदन करेंगे।

(vii) मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी सीबीएन के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन के मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।

(viii) यदि अफीम की नीति 2024-25 के हिन्दी के संस्करणों में विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फा. सं. एन-14011/01/2024-एनसी-1]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2024

No. 03 /2024-Narcotics Control-1

G.S.R. 677(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for eligibility to continue cultivation for licensees and grant of license specified below for cultivation of opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2024 and ending with the 30th day of September, 2025.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following cultivators (including their legal heirs) shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing:

(i) Cultivators who, on the basis of licenses issued to them, had cultivated opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing during the crop year 2023-24 and have tendered an average yield of un-lanced poppy straw 675 kgs per Hectare or above at weighment center and have not been de barred from cultivation of opium poppy on any of the ground mentioned in Para 5(ii) of this opium policy.

Note:- Cultivators who have tendered an average yield of un-lanced poppy straw below 675 kgs per Hectare during crop year 2023-24 are suspended from opium poppy cultivation during crop year 2024-25. However, they will continue to hold licence for next crop year and will be eligible for cultivation subject to conditions imposed by policy of that year.

(ii) Cultivators who have tendered an average yield of Morphine (MQY-M) 3.0 kg per hectare and above but less than 4.2 kg per hectare from the opium poppy cultivated for obtaining opium gum through lancing in crop year 2023-24.

(iii) Cultivators who have tendered unlanced poppy straw 900 kg per hectare or more during crop year 2023-24, if they do not opt for opium gum as per general licensing conditions for opium cultivation for production of opium gum for crop year 2024-25 and voluntarily want to continue cultivation of opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing.

(iv) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop, cultivated during the crop year 2022-23 & 2023-24 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2021-22.

(v) Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2023-24, but did not obtain a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.

(vi) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2023-24.

(vii) Cultivators who were de-licensed on the ground of charge/ charges in any competent court for any offence under NDPS Act, 1985 and the Rules made there under since 1995-96 provided that they have been acquitted by the competent court of Law in said case/ cases and such order/orders of acquittal has become final as on 31st July 2024, subject to production of certified copy of judgment and declaration to this effect.

(viii) Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2023-24.

(ix) One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/ blood relatives in Form No. 1 is made.

(x) Cultivators including their legal heirs who were ever licensed since crop year 1995-96 onwards but have not been issued licenses due to any reason.

(xi) Cultivators including their legal heirs who were de-licensed since crop year 1995-96 till 1997-98 and tendered MQY more than 25 Kg/ Hect.

3. Conditions of License

No cultivator shall be eligible for cultivation unless he/she satisfies that:

(i) He/ she did not, in the course of actual cultivation, exceeded the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2023-24 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.

(ii) He/ she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under provided they have not been acquitted by the competent court of law latest by 31st July 2024.

(iii) He/ she did not, during the crop year 2023-24, violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

(i) All eligible cultivators under clause 2 above will be issued license of 0.10 Hectares each and in one plot only. This plot may be spread across more than one revenue Khasra numbers.

(ii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Period of license

(i) the cultivators who have become eligible to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing for the first time in this policy, licenses will be issued to them for five crop years**,** i.e. license issued to cultivators for crop year 2024-25 will remain effective till crop year 2028-29.

(ii) License issued for five years will remain in force for the given period until the cultivator;

a. is found involved in illicit activities,

b. is charge sheeted under NDPS act,

c. violated the departmental instructions related to opium poppy cultivation.

d. voluntarily surrendered his/ her license before the concerned District Opium Officer

6. Forewarning

(i) Morphine content of Un-lanced Poppy Straw tendered during 2024-25 may become the basis for payment for the crop year 2024-25, if the Government decides to do so in this regard.

(ii) Cultivators who fully ploughed back their entire poppy crop for consecutive three crop years would not be entitled for license in the next crop year.

(iii) An Average yield on 800 Kg per hectare of un-lanced poppy capsule alongwith straw should be achieved during the crop year 2024-25 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e.2025-26.

7. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

8. Miscellaneous

(i) The cultivators who are becoming eligible for issue of license under this year policy for opium poppy cultivation and are not holder of five year license, for production of Unlanced Poppy Straw during the Crop Year 2024-25 shall provide in the Application Form No. 1, the details of owner of the plot, survey number etc. of the plot in which they are intending to cultivate opium poppy crop as well as any other details as may be suitably and reasonably notified by the Narcotics Commissioner.

(ii) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

(iii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research or for obtaining poppy straw that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year if otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

(iv) Payment to the cultivators who have tendered their produced un-lanced poppy straw to the government shall be made in accordance with the price per Kgs. of un-lanced poppy straw as determined by the Government of India.

(v) In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store Un-lanced Poppy Straw in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

(vi) The name of eligible cultivators will be uploaded on CBN website(cbn.nic.in) and/or CBN online portal (cbnonline.nic.in) and may be communicated through other means like messages on given mobile number, mails etc. The cultivators listed in the eligibility list shall apply through online mode on CBN Online Portal for obtaining license within the stipulated timeline.

(vii) Existing licensees shall not be required to submit paper for which information is already with CBN. Information will be provided in case of any change from previous year.

(viii) If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2024-25 then English version of same shall be followed.

[F. No. N-14011/01/2024-NC-1]

RAM LAKHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.10.30 18:40:15 +05'30'